भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2768
जिसका उत्तर मंगलवार, 15 मार्च, 2016 को दिया जाना है

कारों के लिए सुरक्षा मानक

2768. श्री बी० वी० नाईक:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सुरक्षित कार बनाने के लिए कार विनिर्माताओं के लिए सुरक्षा मानक तैयार किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में बेची गई अधिसंख्य कारों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या देश में लोकप्रिय कार मॉडल सुरक्षा मानकों में विफल रहे हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का यात्रियों की सुरक्षा के लिए विश्व में स्वीकार्य सुरक्षा मानकों को अपनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी० एम० सिद्देश्वर)

(क): जी, हां। सरकार ने सुरक्षित कार बनाने के लिए कार विनिर्माताओं हेतु सुरक्षा मानक बनाए हैं। ये नियम केन्द्रीय मोटर वाहन विनियम, 1989 (सीएमवीआर) के अंतर्गत ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैन्डर्ड्स में निहित हैं। केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि ट्रेलरों और सेमीट्रेलरों से अन्य मोटर वाहनों के प्रत्येक विनिर्माता को केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के प्रावधानों के अनुपालन में प्रमाण-पत्र पाने के लिए इनमें विनिर्दिष्ट किसी भी एजेन्सी के द्वारा जांच के लिए विनिर्माता द्वारा विनिर्मित वाहन के प्रोटोटाइप को प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। सीएमवीआर के नियम 126ए के अनुसार, नियम 126 में संदर्भित जांच एजेन्सियों को विनिर्माता की उत्पादन लाइन में से वाहनों को निकालकर जांच करना आवश्यक है ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि ये वाहन, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 110 के तहत उल्लिखित नियमों के प्रावधानों के अनुरूप हैं। केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम और केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के प्रावधानों का प्रवर्तन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के दायरे में आता है।

इसके अतिरिक्त, भारत यात्री कारों के लिए सुरक्षा मानकों के यात्री विनियमनों को यूएन-ईसीई विनियमों के अनुरूप करने की दिशा में कदम उठा रहा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने "भारत नए वाहन सुरक्षा निर्धारण कार्यक्रम" जोकि अक्तूबर, 2017 से स्वैच्छिक तथा अक्तूबर, 2020

से अनिवार्य होगा, के अंतर्गत नए वाहनों में सुरक्षा-फीचर्स मुहैया कराने के लिए एक समर्पित पैनल बनाया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): जी, नहीं। तथापि, यदि वाहनों में कोई सुरक्षा संबंधी खामी पाई जाती है, जिससे वाहन चालक को दुर्घटना अथवा चोट लगने का खतरा उत्पन्न होता है, तो विनिर्माता वाहनों को स्वैच्छिक रूप से वापस बुलाएंगे और वाहनों में पाई गई कमियों का निःशुल्क निराकरण करेंगे।

(घ) और (ङ): सीएमवीआर 1989 के अंतर्गत निर्धारित सभी सुरक्षा मानदंड संयुक्त राष्ट्र/यूरोपीय विनियमों पर आधारित हैं जिनकी अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता है। कुछ विनियमों जैसे कि फ्रंटल क्रैश टेस्ट, जिसमें एयर बैग्स को अनिवार्य रूप से लगाना आवश्यक होता है, के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 01 अप्रैल, 2017 से नए वाहनों के लिए क्रैश विनियम पहले ही अधिसूचित कर दिए हैं।

****